

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जि
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सरिधा हो।



ग्राम : बूबीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/महा.वि.प./2011/ 3588

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में
परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक
(30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : ऑप्टिमस कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, 23, लक्ष्मीबाई कालोनी, पड़ाव, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. बीना तिवारी, शासकीय महाविद्यालय, पिछोर
2. डॉ. संद्या भार्गव, शासकीय महाविद्यालय, शिवपुरी

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, ऑप्टिमस कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, 23, लक्ष्मीबाई कालोनी, पड़ाव, ग्वालियर की ओर भेजकर
तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की
अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी
निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस
कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज
कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व
में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि जीवाजी अक्षय पदाधिकारी के नाम से।
राज्यप्रबन्ध विभव पर यदि तूर्त में पत्र व्यवहार दुःख हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : शूलीवर्सिटी
प्रदेश : 0091-0751-2442801
(कार्यालय)
2442462 (विळास)
फ़ोन : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5287

दिनांक : 26/09/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के विर्णायनुसार आर्थीमस कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, बी.कॉम. तृतीय वर्ष, प्लेट पाठ्यक्रम के लिये अस्थाइ सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय आवश्यक रूप से 28(17) में प्राचार्य एवं शिक्षकों एवं गैर-शिक्षकों की नियुक्ति कर लें।
2. रु. 50,000/- की पुरतकें पुस्तकालय के लिए क्रय करें।
3. कोर्स से सम्बंधित लीगल साफ्टवेयर आवंटित अत्र संरच्चय के आधार पर क्रय करें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आर्थीमस कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, ग्वालियर
2. आयुक्त, भव्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतनुडा भवन, शोपाल।
3. द्वितीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. आर्थीमस, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर जी और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु।

सहायक कुलसचिव (अन्वयद्धता)